

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-01 / स्था० (विविध)-34 / 2022 (पार्ट) 5818 / न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक-27/5/26

श्री दीपक कुमार, बि०न०से०, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पावापुरी को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिलाव का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(रंजन कुमार चौधरी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-01 / स्था० (विविध)-34 / 2022 (पार्ट) 5818 / न०वि०आ०वि०, पटना / दिनांक-27/5/26

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, नालन्दा / श्री दीपक कुमार, बि०न०से०, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पावापुरी / नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिलाव / संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/26

सरकार के उप सचिव।